"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर 2002—अग्रहायण 6, शक 1924

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4831/राजस्व/2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 256 सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) की कण्डिका (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वर्तमान नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 256 के अधीन बनाए गये नियम 56 के उपनियम (ग) के द्वितीय पैरा में अंक "रुपये 05.00" के स्थान पर "रुपये 07.00" प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 27th November 2002

NOTIFICATION

No.4831/Revenue/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (lxix) of sub-section (2) of Section 258 and read with Section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby makes the following amendments in the existing rules :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For paragraph second of sub-rule (c) of rule 56, of the rules framed under Section 256 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, for the figures "Rs. 05.00" "Rs. 07.00" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.